यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय**सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वाल**के माह 03/2014 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार,लेखापरीक्षक,श्री रवि शंकर एवं श्री विश्व प्रकाश,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.012021 से28.01.2021 तक श्री दानिश इकबाल,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीश्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक,श्री भारत सिंह, लेखापरीक्षक,द्वारा दिनांक 04.03.2014 से 07.03.2014तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2006 से 02/2014तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2014 से 12/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी,

1. **(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-इकाई **सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वाल**मूल कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित योजना को कार्यावित्न्त करना है। दुग्ध समितियो का गठन कर दुग्ध संघ मे दुग्ध भिजवाना] तथा दुग्ध समिति के लाभार्थियो को राज्य व जिला सरकार द्वारा संचालित योजनाओ से लाभान्वित करना।

   (ii)इकाई का भौगौलिक क्षेत्र समस्त नई टिहरी है।

(ii) (अ) विगत पाँच वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू लाख में)

वर्ष	अधिष्ठान					
	प्रा0अवशेष	**आवंटन**	**व्यय**	**अवशेष**	**समर्पण**	**अंतिम अवशेष**
2014-15	00.00	44.79	43.22	00.00	1.57	00.00
2015-16	00.00	45.00	44.10	00.00	0.90	00.00
2016-17	00.00	49.51	45.46	00.00	4.05	00.00
2017-18	00.00	49.63	47.53	00.00	2.10	00.00
2018-19	00.00	47.23	47.13	00.00	0.10	00.00
2019-20	00.00	41.34	41.19	00.00	0.15	00.00
2020 - 21(12/2020) तक	00.00	34.98	34.66	00.00		

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का बजट विवरण					
	प्रा0अवशेष	**आवंटन**	**व्यय**	**अवशेष**	**समर्पण**	**अंतिम अवशेष**
2014-15	00	92.67	82.41	10.26		
2015-16		36.21	35.30	0.91		
2016-17		43.94	43.08	0.86		
2017-18		49.03	49.02	0.01		
2018-19		53.09	51.03	2.06		
2019-20		65.77	45.07	20.70		
2020-21(12/2021 तक)		9.16	8.31	0.85		

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का बजट विवरण					
	प्रा0अवशेष	**आवंटन**	**व्यय**	**अवशेष**	**समर्पण**	**अंतिम अवशेष**
2014-15	----------शून्य----------					
2015-16						
2016-17						
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020 -21						

विभागीय ढाँचा:

1) सचिव
2) निदेशक
3) संयुक्त निदेशक
4) उप निदेशक
5) सहायकनिदेशक

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में**सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वाल**कोआच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**सहायक**

निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वालकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।व्यय की लेखापरीक्षा हेतु अधिकतम व्यय के आधार पर माह 09/2015, 10/2014, 11/2018 व 01/2020को तथा प्राप्ति की लेखापरीक्षा हेतु माह (शून्य)को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग II `ब`</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के अभाव मे दुग्ध एवं सह उत्पादन के लक्ष्य एवं उद्देश्य का अप्राप्त रहना जिसके कारण दुग्ध संघ को रुपए 803.14 लाख की हानि होना तथा स्थानीय जनता का अंतर्निहित लाभ से वंचित रहना।

डेरी विकास विभाग का मूल उदेश्य लघु एवं सीमांत कृषकों को रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाना तथा प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करते हुए नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध एवं दूध प्रदार्थ का विक्रय कराना है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों के लिए डेरी को कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में विकसित करना, उपभोगताओंको उत्तम गुणवत्ता के दूध व दूध पदार्थ उचित दर पर उपलब्ध करवाना और दूध उत्पादकों को समय- समय पर पशु पालन, चारा विकास, दुग्ध उत्पादन आदि की नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना है, सहायक निदेशक डेरी विकास टिहरी के प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 07 योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है जिसके लिए राज्य एवं जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि को कोषागार से आहरित कर टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड नई टिहरी को हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा समस्त योजनाओं का संचालन / निष्पादन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा किया जाता है इकाई द्वारा केवल योजनाओ से संबन्धित धनराशि हस्तांतरित करना तथा दुग्ध संघ से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं अनुश्रवन एवं मूल्यांकन करना होता है। योजनाओ का संचालन टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड नई टिहरी द्वारा किया जाता है जिसके लिए दुग्ध संघ का पृथक अधिष्ठान है। संघ का संचालन व्यय राज्य सरकार के अनुदान एवं दुग्ध संघ की आय से वहन किया जाता है।

सहायक निदेशक दुग्ध विकास विभाग नई टिहरी एवं दुग्ध संघ के लेखा अभिलेखों/दुग्ध संघ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि टिहरी गढ़वालदुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के संचालन हेतु कुल 30 पद स्वीकृत थी जिसके सापेक्ष वर्तमान मे मात्र 10 पदों पर कर्मचारी तैनात थे शेष 20 पद तैनाती न होने व सेवा निवृत होने के कारण रिक्त थे। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विगत चार वर्षों मे जनपद टिहरी मे कुल 239 दुग्ध समितियां पंजीकृत बताया गया तथा एक अन्य रिपोर्ट मे 209 दुग्ध समितियों का पंजीकृत होना दर्शाया गया जिससे यह भी प्रदर्शित होता है कि इकाई के आंकड़े विश्वास योग्य नहीं थे। विगत वर्षो मे पंजीकृत समितियों के सापेक्ष कम समितियां से दुग्ध की आपूर्ति की जा रही थी और दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2019- 2020 मे दुग्ध उत्पादन 4.80 प्रतिशत तथा वर्ष 2020-21 मे 1.73% मात्र था। वर्ष 2019-20 मे दूध उठान की लागत रुपए 27.66 प्रति लीटर तथा वितरण की लागत रुपए 7.84 प्रति लीटर अर्थात मात्र एक लीटर दूध उठान व वितरण की लागत 35.50 थी जबकि दूध का क्रय मूल्य रुपए 33.00 प्रति लीटर था और विक्रय मूल्य रुपए 40.00 प्रति लीटर था जिससे स्पष्ट है कि उक्त वर्ष मे मात्र दूध के क्रय विक्रय मे रुपए 28.50 प्रति लीटर हानि हुई थी जबकि उक्त दूध भंडारण, पैकिंग, कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते तथा अन्य व्यय आदि पर लाखो रुपए का प्रति वर्ष व्यय हो रहा था। इकाई के लेखा अभिलेखो मे ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था जिससे यह परिलक्षित होता कि डेरी विकास विभाग एवं दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उपादान के लक्ष्य प्राप्ति हेतु या दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि हेतु कोई भी सार्थक प्रयास किया गया हो। विगत पाँच वर्षो मे दुग्ध उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य दुग्ध उत्पादन का विवरण निमन्वत था-

वर्ष	पंजीकृत समितियां	कार्यरत समितियां	निर्धारित मानको के अनुसार लक्ष्य (समिति *30*30*12)	दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य (प्रति दिन का लक्ष्य*365)	वास्तविक उत्पादन (प्रति दिन का उत्पादन *365)	उत्पादन का प्रतिशत	प्रति लीटर दुग्ध उठान एवं वितरण की लागत (औसत)	प्रति लीटर क्रय मूल्य	प्रति लीटर विक्रय मूल्य
2016-17	203	150	2192400	1314000	790590	60.16	5.58	31	38
2017-18	209	145	2257200	1314000	751535	57,18	8.36	33	40
2018-19	209	102	2257200	2028670	324485	16.00	11.46	33	40
2019-20	209	62	2257200	2048745	98185	04.80	33.50	33	40
2020-21 (12/2020 तक)	209	20	1692900	2048745	26190 (12/2020 तक)	01.73	10.08	33	40
			10656900	8754160					

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दुग्ध संघ का मूल उद्देश्य दुग्ध उत्पादन मे विकास करना था परन्तु विगत वर्षो मे लगातार दुग्ध उत्पादन मे लगातार गिरावट हुई वर्तमान समय मे प्रति दिन औसतन मात्र 97 लीटर दूध का उठान व वितरण किया जा रहा था, जब इतनी कम मात्रा मे दूध का उठान हो रहा था तो ऐसी स्थिति मे दुग्ध के सह उत्पाद यथा घी, मक्खन, पनीर व मट्ठा का निर्माण अथवा विक्रय कैसे सम्भव होगा, वर्तमान समय दुग्ध सह उत्पादो का उत्पादन एवं बिक्री नहीं की जा रही थी, उक्त कार्य हेतु शाकीय धन/जनधन से क्रय किए गए उपकरण व संयंत्र भी निष्क्रिय पड़े हुए थी जिसके कारण उनका भी दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था और भविष्य मे उनके अनुरक्षण पर भी अत्याधिक धनराशि के व्यय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विगत चार वर्षो मे दुग्ध उत्पादन 60% से 1.73% पर आ गया था। दुग्ध संघ के तुलन पत्र (Balance Sheet) के नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि दुग्ध संघ वर्ष 2016-17 तक रुपए 48817739.53 की हानि मे था वर्ष 2017-18 मे यह हानि रुपए 64582059.84, वर्ष 2018-19 तक रुपए 72358017.48 मे था तथा वर्ष 2019-20 मे रुपए 7956083.29 धनाराशि की हानि हुई थी, इस प्रकार 31 मार्च 2020 तक दुग्ध संघ कुल रुपए 80314100.77 की हानि मे था। दुग्ध संघ के रुपए 803.14 लाख की हानि मे होने से स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित है कि संघ दुग्ध उत्पादन के अपने निर्धारित की लक्ष्य की प्राप्ति मे विफल था और दुग्ध संघ के संचालन पर अनावश्यक रूप से प्रत्येक वर्ष शासकीय धन व्यय किया जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप न केवल शासकीय धन का अपव्यय हो रहा था अपितु विभाग अपने मूल उदेश्य उपभोगताओं को उत्तम गुणवत्ता के दूध व दूध पदार्थ उचित दर पर उपलब्ध कराने मे विफल था जो जनधन एवं जनहित की हानि थी। दुग्ध संघ को विगत कई वर्षो से लगातार हानि हो रही थी उसके बाद भी विभाग द्वारा कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया था और न ही कोई कार्यवाही की गयी थी।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि दुग्ध फेडरेशन द्वारा प्रति दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के लिए प्रति दिन 30 लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है परन्तु दुग्ध उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण एवं कार्य योजना तथा तूलन पत्र (Balance sheet) से संबन्धित सलग्नक प्रपत्र के प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया, तथा इकाई द्वारा स्वीकार किया कि वर्तमान समय मे (मार्च 2020 तक) दुग्ध संघ रुपए 803.14 लाख की हानि मे है और हानि का कारण दुग्ध उत्पादन मे कमी तथा व्यय की अधिकता बताया गया, इकाई द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य उचित गुणवत्ता वाले दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना था परन्तु विगत चार पाँच वर्षों से पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण दुग्ध संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति मे विफल रहा परन्तु भविष्य मे सुधार कर लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य एवं संतोषजनक नहीं था क्योंकि दुग्ध संघ विगत कई वर्षों से लगातार हानि मे था और प्रतिवर्ष दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उत्पादन मे कमी तथा व्यय की अधिकता के कारण हानि हो रही थी और विभाग द्वारा इस सम्बंध मे कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी और न ही इस प्रकरण को शासन के संज्ञान मे लाया जा रहा था। अतएव **विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के अभाव मे दुग्ध एवं सह उत्पादन के लक्ष्य एवं उद्देश्य का अप्राप्त रहना जिसके कारण दुग्ध संघ को रुपए 803.14 लाख की हानि तथा स्थानीय जनता का अंतर्निहित लाभ से वंचित रहने** का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग II(ब)</u>

<u>प्रस्तर02:-</u> रू. 31.99 लाख की नियमो के विपरीत अवैध निकासी।

राज्य समेंकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखंड के पत्रांक 861-67/लेखा/ रा.स.स.वि.प.//वि.स्वी.-पी.डी.एस.एल./2019-20 दिनांक 03.12.019के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. टिहरी को कार्यशील पूँजी मद में रू 40.00 लाख स्वीकृत किया गया था. यह धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत कि गयी थी-

1-सहकारी समिति/संस्था का यह उत्तेरदायित्व होगा कि जिन उद्देशो के लए ऋण दिया जा रहा है. उन उद्देश्यों कि प्राप्ति कि जाए.(बिंदु 11)

2-धनराशि का उपयोग स्वीकृत केवल उन्ही मदों पर किया जाए जिसके लिए स्वीकृतदी जारही है. (बिंदु 12)

3-आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं इसकी सूचना यथा समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा राज्य सरकार एवं कार्यक्रम निदेशालय को त्रेमासिक रूप से उपलब्ध कराई जाय।

सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, नई टिहरी के राज्य समेंकित सहकारी विकास परियोजना से संबन्धित अभिलेखों कि संवीक्षा में पाया गया कि 12/2019 में शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक, बौराड़ी में जमा उक्त धनराशि में से खाता धारको कि अनुमति के बिना रू 31,99,985/- ई.पी.एफ.ओ. को भुगतान किया गया जबकि उक्त धनराशि को दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के दुग्ध उत्पादकों को किया जाना था. ई.पी.एफ.ओ. को भुगतान करने के संबंध मे किसी आदेश का अभिलेखो मे कोई उल्लेख नहीं पाया गया। इस धनराशि को आतिथि तक इकाई द्वारा वापस प्राप्त भी नहीं किया गया था।

इंगित करने पर इकाई द्वारा प्रति उत्तर मे बताया गया कि ई.पी.एफ.ओ. कार्यालय द्वारा कार्मिको का लंबित ई.पी.एफ. जमा न होने के कारण ई.पी.एफ.ओ. कार्यालय द्वारा दुग्ध संघ, टिहरी गढ़वाल को उल्लेखित धनराशि रू. 31,99,985.00 का नोटिस देकर समस्त बैंक खाते सीज करने के उपरांत स्वयं एक्सिस बैंक मे आकर उक्त धनराशि को डी.डी. के माध्यम से ले गए। दुग्ध संघ द्वारा भुगतान करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई है, चूंकि कार्मिको को कुल 38 माह से वेतन न मिलने के कारण ई.पी.एफ. की धनराशि जमा नहीं की जा सकी थी। अवशेष धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (N.C.D.C.) को वापस की गयी है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि रू 40.00 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. टिहरी को कार्यशील पूँजी मद में स्वीकृत किया गया था, न की ई.पी.एफ मे जमा करने के लिए। इस प्रकार इकाई द्वारा धनराशि का उपयोग स्वीकृत मद मे नही किया जा सका जो की योजना की शर्तो के विपरीत है, साथ ही इकाई योजना के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने मे असफल रही। रू. 31,99,985.00 की धनराशि को भी वापस प्राप्त नहीं किया जा सका। अत: अवैध निकासी का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग II(ब)</u>

प्रस्तर03:- नियमो के विपरीत रू. 15.86 लाख की धनराशि कों अवरुद्ध करके रखना।

परियोजना निदेशक (डेरी) राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के पत्रांक सी-15/नियोजन - एन.सी.डी.सी.(सामा) पत्रा /2019-20 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा एन.सी.डी.सी. द्वारा स्वीकृत "केंद्रीय क्षेत्रके एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना" के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशुओ की इकाई को क्लस्टर के रूप में वितरित किये जाने को निर्देशित किया गया था, जिसके अंतर्गत दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 03 एवं 05 दुधारू पशुओ की इकाई तथा 50 दुधारू पशुओ के सहकारी डेरी फार्म की स्थापना के लिये ऋण एवं राज सहायता तथा दुग्ध सहकारी संघों को उनकी आवश्यकतानुसार कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जानी थी.
परियोजना के अंतर्गत इकाई को उपलब्ध धनराशि व् निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित थे-

वित्तीय वर्ष	03 दुधारू का लक्ष्य	05 दुधारू का लक्ष्य	जारी धनराशि	व्यय धनराशि
2019-20	35	02	17.37	00

उक्त धनराशि इन शर्तो के साथ आवंटित की गयी थी धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये. आवंटित धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2020 तक कर लिया जाये. पार्किंग फंड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाय तथा न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बना रखा जाय.

सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, टिहरी गढ़वाल के परियोजना से सबंधित अभिलेखो की संवीक्षा में पाया गया कि उपलब्ध धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में अभिलेखोमे साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे तथा निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया था.
इंगित किए जाने पर इकाई ने प्रतिउत्तर मे बताया कि लाभार्थियो के चयन कि प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही लाभार्थियो का चयन कर धनराशि व्यय कि जाएगी। साथ ही रू. 1,50,764.00 की धनराशि रू. सहायक निदेशक, चमोली को हस्तान्तरित किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि धन आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2020 तक कर लिया जाना था और पार्किंग फंड हेतु धनराशि का
आहरण नहीं किया जाना था। इकाई द्वारा एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था जो की शर्तो के विपरीत था तथा इतनी अवधि से धनराशि इकाई के पास अवरुद्ध भी रही।
अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः01:-</u> PRAN संख्या आवंटित न होने के कारण धनराशि रु 0.48 लाख के Employers Share से वंचित रखा जाना।

उत्तराखंड में राज्य कार्मिकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना शासनादेश संख्या 21/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005 के अनुसार दिनाँक 25 अक्टूबर,2005 से लागू की गयी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन, महगाई वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कार्मिक कि नियुक्ति के समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-ग भरने के साथ ही कार्मिक का नई पेंशन योजना से संबन्धित CSRF(Subscriber Registration Form)फॉर्म कार्मिक द्वारा भरा जाना आवश्यक है जिससे कार्मिक को PRAN आवंटित कर अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जा सके। समय-समय पर NPS से आच्छादित कार्मिकों की पासबुक का सत्यापन NSDL द्वारा जारी किए गए Account Statement के सहत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इस संबंध में अपर सचिव, उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 113/06/XXVII(10)/2017 के अनुसार दिनाँक 06.04.2017 में स्पष्ट किया गया है कि अंशदायी पेंशन योजना के अतर्गत कार्मिकों के 10 प्रतिशत अंशदान कि कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्ष 8342011170301 में जमा किया जाएगा। साथ ही स्मतुल्य राशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 में जमा कि जाएगी इस प्रकार लेखा शीर्षक 83420111703 में जमा कुल धनराशि को आहारित कर निदेशक, कोशागार द्वारा सी0आई0ए0 को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग, नई टिहरी में नयी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के NPS से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री अमित कुमार, राजकीय दुग्ध पर्य0 की नियुक्ति दिनाँक 31.08.2019 को हुई थी। परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त कार्मिक को PRAN संख्या आवंटित नही हुई थी। नियमानुसार नव-नियुक्त कार्मिकों को एक माह के उपरान्त PRAN आवंटित किया जाना चाहिए। परंतु कार्यालय द्वारा उक्त नियमो का अनुपालन न किए जाने के कारण कार्मिक के अंशदान की कटौती न किए जाने एवं उनके अंशदान पर प्राप्त होने वाले Employers share कुल धनराशि रु 0.48 लाख से वंचित रहना, जिसके परिणामस्वरूप कार्मिक के सेवानिवृति के समय पर पेंशन में प्रभाव पड़ेगा। जिसका विवरण निम्न है-

Name	Date of Appointment	Employee Share	Employers Share	Total	Date of Submission of CSRF	First NPS Deduction Date
Sh. Amit Kumar	31.08.2019	48,261.00	48,261.00	96,522.00	NA	NA

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जाने पर कार्यालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों के पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि जानकारी के अभाव में उक्त कार्मिक का PRAN संख्या हेतु विलम्ब से आवेदन किया गया जिसके

कारण पीआरएएन संख्या उपलब्ध नही हो सकी, शीघ्र ही पीआरएएन संख्या उपलब्ध होने के उपरान्त वेतन से कटौती शुरू कर दी जाएगी। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वयं लेखापरीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः PRAN संख्या आवंटित न होने के कारण धनराशि रु 0.48 लाख के Employers Share से वंचित रखे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**
69/2013-14	शून्य	प्रस्तर संख्या 01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
69/2013-14	भाग दो-2 (ब) प्रस्तर संख्या-01	अप्रस्तुत	यथावत	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालयसहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वाल**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलम्ब किया गया अधिकांश सूचनाएँ समय से प्राप्त नही हुई इसी कारण कार्य समय से पूर्ण नही हो सका। लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख:
   (i) लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख: विगत लेखापरीक्षा
   (ii) प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या। राज्य योजना वर्ष 2017-18 की की योजनाओ की UC, व वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 की दुग्ध मूल्य।
2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री अभिनव नौटियाल	सहायक निदेशक	27.05.2013 से 15.06.2018 तक
2.	श्री प्रेमलाल	सहायक निदेशक	19.06.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालयसहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड, टिहरी गढ़वाल**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,महालेखाकार भवन, कौलगढ़, देहारादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-I